मध्य प्रदेश शासन
सचिवालय
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, ई–मेल : osdjcbpl@yahoo.co.in

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2007/ 513 दिनांक 09 अगस्त 2007

प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश, 2007 अंतर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 8 अगस्त 2007 को माननीय डॉ. पी. एल. चतुर्वेदी भूतपूर्व कुलपति स्वामी दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राजस्थान) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। समिति की बैठक में मध्यपदेश राज्य के निजी गैर–अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में लिये जाने वाले शुल्क के संबंध में माननीय न्यायाधीश श्री शचीन्द्र द्विवेदी द्वारा (आदेश दिनांक 30.06.05 मेडिकल हेतु, दिनांक 24.06.05 नर्सिंग हेतु तथा 30.04.05 टेक्नीकल कॉलेजों हेतु एवं माननीय न्यायाधीश श्री गुलाब गुप्ता (आदेश दिनांक 24.01.07 इंजीनियरिंग कॉलेजो हेतु) लिये गये निर्णयों को सत्र 2007–08 के लिये अन्तरिम रूप से यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया। नये अथवा ऐसे महाविद्यालय जो उपरोक्त आदेशों में सम्मिलित नहीं हैं, के संबंध में उपरोक्त आदेशों में निर्णीत न्यूनतम शुल्क लागू होगा। यदि अन्तिम रूप से निर्धारित शुल्क, उपरोक्त निर्णीत अन्तरिम शुल्क से कम होगा तो संस्थायें ली गई अधिक राशि छात्रों को वापिस या समायोजित करेंगी। इसी प्रकार यदि समिति द्वारा निर्धारित अन्तिम शुल्क राशि उपरोक्त निर्णीत अन्तरिम शुल्क से अधिक होगी तो वह राशि छात्रों द्वारा देय होगी।

(हिमांशु तिवारी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी